ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 164-168**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

ग्रामीण भारतीय समाज में महिलाओं के रहन–सहन एवं सामाजिक–आर्थिक कारकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रतिमा सिंह

सहायक प्राध्यापिका, समाजशास्त्र विभाग, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ0प्र0) भारत

Received-26.10.2025, Revised-04.11.2025, Accepted-10.11.2025 **E-mail: me.pratima30@gmail.com**

सारांशः ***यह शोध पत्र "ग्रामीण समाज में महिलाओं के रहन–सहन एवं सामाजिक–आर्थिक कारकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" विषय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारक महिलाओं के रहन–सहन को पुरुषों के समान मानने के प्रति समाज के दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जनपद के मार्टिनगंज विकासखंड की तीन ग्राम सभाओं में 300 उत्तरदातियों पर आधारित है, जिनका चयन यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा किया गया। डेटा संकलन के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया तथा विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि एवं सारणीकरण तकनीक अपनाई गई। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 54–57% उत्तरदातियाँ महिलाओं के रहन–सहन को पुरुषों के समान मानते हैं, जबकि एक महत्वपूर्ण वर्ग अभी भी इससे असहमत है, जो सामाजिक परिवर्तन की आंशिक प्रकृति को दर्शाता है। विश्लेषण से यह भी पाया गया कि शिक्षा एवं पारिवारिक संरचना इस दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। उच्च शिक्षित एवं एकाकी (न्यूक्लियर) परिवारों के उत्तरदातियों में महिलाओं के प्रति अधिक सकारात्मक एवं समानतावादी दृष्टिकोण पाया गया, जबकि संयुक्त परिवारों एवं निम्न शिक्षित वर्गों में पारंपरिक सोच अपेक्षाकृत अधिक विद्यमान है। इसके विपरीत, जाति का प्रभाव नगण्य पाया गया, जबकि आय एवं आयु का प्रभाव मध्यम स्तर का रहा। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की समानता के प्रति दृष्टिकोण में धीरे– धीरे सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, किंतु यह परिवर्तन अभी पूर्णतः व्यापक नहीं है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता तथा पारिवारिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं एवं सामाजिक संगठनों के लिए उपयोगी दिशा–निर्देश प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।***

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज, लैंगिक समानता, सामाजिक–आर्थिक कारक, रहन–सहन, नारी अध्ययन।

1. प्रस्तावना **(Introduction)–** भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से एक पितृसत्तात्मक संरचना पर आधारित रहा है, जिसमें महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घरेलू कार्यों, देखभाल और सहायक गतिविधियों तक सीमित रही है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती रही है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधीनस्थ बनी रही। किंतु आधुनिक काल में शिक्षा, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने इस पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है और महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) आज वैश्विक विमर्श का एक प्रमुख विषय बन चुका है। इसका अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। अमर्त्य सेन (1999) के "Capability Approach" के अनुसार, सशक्तिकरण का अर्थ है व्यक्ति को ऐसी क्षमताएँ प्रदान करना जिससे वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सके (Sen, 1999)।

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति मिश्रित रही है। एक ओर जहाँ शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ शिक्षा, रोजगार एवं नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई बाधाएँ विद्यमान हैं। भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है (Census of India 2011), और इन क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताएँ एवं सामाजिक संरचनाएँ अधिक प्रभावी हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5, 2019–21) के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। इसी प्रकार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate) भी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है (Periodic Labour Force Survey, 2022)। यह स्थिति महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को बढ़ाती है, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

महिलाओं के रहन–सहन (lifestyle), जो कि उनके पहनावे, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता एवं निर्णय क्षमता को सम्मिलित करता है, समाज में उनकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि महिलाओं का रहन–सहन पुरुषों के समान हो, तो यह लैंगिक समानता का प्रतीक माना जाता है। किंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि समाज इस परिवर्तन को किस सीमा तक स्वीकार करता है। ग्रामीण समाज में यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पारंपरिक मूल्य, जातिगत संरचना एवं पारिवारिक व्यवस्था (विशेषकर संयुक्त परिवार) अभी भी प्रभावी हैं। प्रस्तुत अध्ययन के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि सामाजिक– आर्थिक कारक जैसे शिक्षा, आय, जाति एवं पारिवारिक संरचना महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययन में पाया गया कि उच्च शिक्षित वर्ग में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया, जबकि संयुक्त परिवारों में अपेक्षाकृत पारंपरिक सोच विद्यमान है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016), एवं महिला शक्ति केंद्र योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है (Ministry of Women– Child Development, 2020)। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (73वां संविधान संशोधन, 1992) ने ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ पंचायतों में निर्वाचित तो होती हैं, परंतु वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, जिसे "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" कहा जाता है (Agarwal, 1994)।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत उपयोगी हैं। दुर्खीम (1893) का "सामाजिक एकीकरण सिद्धांत" यह बताता है कि समाज में परिवर्तन के साथ सामाजिक मान्यताएँ भी विकसित होती हैं। पार्सन्स (1955) के पारिवारिक कार्य सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक संयुक्त परिवारों में लैंगिक भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं, जबकि आधुनिक एकाकी परिवारों में ये भूमिकाएँ अधिक लचीली हो जाती हैं। वहीं नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना का परिणाम है, जिसे शिक्षा एवं जागरूकता के माध्यम से बदला जा सकता है (Beauvoir, 1949; Friedan, 1963)।

महिलाओं के रहन–सहन, जीवनशैली एवं सामाजिक भूमिका में हो रहे इस परिवर्तन को समाज किस प्रकार स्वीकार कर रहा है, यह एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय प्रश्न है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ परंपराएँ अधिक सुदृढ़ होती हैं, वहाँ इस विषय का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन्ही बातों के दृष्टिगत यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया है–

1. उत्तरदातियों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के रहन–सहन के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
3. सामाजिक–आर्थिक कारकों एवं दृष्टिकोण के बीच संबंध स्थापित करना।

2. अध्ययन का क्षेत्र एवं पद्धति (Methodology)– प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के आज़मगढ़ जनपद के मार्टिनगंज विकासखंड में संचालित किया गया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से पारंपरिक क्षेत्र है। इस विकासखंड का चयन दैव–निदर्शनीकरण (random sampling) की लॉटरी विधि से किया गया, ताकि अध्ययन में निष्पक्षता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत तीन ग्राम सभाओंकूबनगाँव, औरंगाबाद तथा बस्ती कपूरीकृका चयन भी यादृच्छिक विधि से किया गया, जिनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि विविध एवं विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाई गई। इन तीनों ग्रामों की कुल जनसंख्या क्रमशः लगभग 3970, 1362 एवं 2615 है तथा महिला साक्षरता दर 25–36% के बीच पाई गई, जो क्षेत्र की सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है। अध्ययन के लिए प्रत्येक ग्राम सभा से 100 उत्तरदातियों का चयन कर कुल 300 उत्तरदातियों का नमूना निर्धारित किया गया, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, आय एवं पारिवारिक संरचना जैसे प्रमुख सामाजिक–आर्थिक कारकों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। डेटा संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची (structured interview schedule) का उपयोग किया गया, जिसमें पूर्व–निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदातियों से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की गई; साथ ही सहायक विधियों के रूप में अवलोकन (observation), अनौपचारिक वार्तालाप एवं फील्ड नोट्स का भी उपयोग किया गया, जिससे अध्ययन की विश्वसनीयता एवं गहराई बढ़ाई जा सके। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण मिश्रित पद्धति (mixed method approach) के अंतर्गत किया गया, जिसमें सांख्यिकीय विश्लेषण (percentage method, tabulation) के साथ–साथ गुणात्मक विश्लेषण (qualitative interpretation) एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, ताकि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों के बीच महिलाओं के रहन–सहन के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार, यह अनुसंधान पद्धति न केवल सांख्यिकीय तथ्यों को प्रस्तुत करती है, बल्कि सामाजिक संदर्भों में उनकी व्याख्या कर ग्रामीण समाज की वास्तविक स्थिति का समग्र एवं विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करती है।

3. परिणाम एवं चर्चा (Results and Discussion)–

3.1 उत्तरदातियों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल एवं आय स्रोतः

सारणी–1: उत्तरदातियों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल एवं आय स्रोत

परिवर्त	वर्ग	कृषि (%)	व्यापार (%)	नौकरी (%)	अनुत्तरित (%)	कुल (%)
आयु	21–30	28.58	40.00	21.42	10.00	23.33
	31–40	33.33	47.62	13.33	5.72	35.00
	41–50	55.95	17.86	25.00	1.19	28.00
	50+	48.79	19.50	41.70	—	13.67
शिक्षा	साक्षर	55.00	27.00	10.00	8.00	23.33
	सामान्य	27.50	43.75	25.00	3.75	26.66
	मध्यम	28.57	32.86	35.72	2.85	23.33
	उच्च	30.00	20.00	46.00	4.00	16.68
जाति	सामान्य	20.84	39.59	30.20	9.37	32.00
	पिछड़ी	32.64	46.53	15.28	5.56	48.00
	अनुसूचित	66.67	8.33	11.67	13.33	20.00
परिवार	संयुक्त	54.29	17.14	24.00	4.57	58.33
	एकाकी	37.60	21.60	36.80	4.00	41.67
आय	2001–4000	50.00	33.33	11.11	5.56	30.00
	4001–6000	66.64	20.00	9.53	3.80	35.00
	6001–8000	36.36	34.55	21.82	7.27	18.33
	8001+	20.00	30.00	40.00	10.00	16.67

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

सारणी–1 के विश्लेषण से उत्तरदातियों की सामाजिक–आर्थिक संरचना एवं उनके आय स्रोतों की स्पष्ट रूपरेखा सामने आती है। आयु वर्ग के आधार पर देखा जाए तो 31–40 वर्ष आयु समूह के उत्तरदातियों का प्रतिशत सर्वाधिक (35%) है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अध्ययन में मुख्यतः मध्यम आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। इस आयु वर्ग में व्यापार (47.62%) प्रमुख आय स्रोत के रूप में उभरता है, जबकि 41–50 एवं 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कृषि (क्रमशः 55.95% एवं 48.79%) का प्रभुत्व देखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि उच्च आयु वर्ग पारंपरिक व्यवसायों पर अधिक निर्भर है।

शैक्षिक स्तर के अनुसार, साक्षर वर्ग (23.33%) में कृषि (55%) प्रमुख आय स्रोत है, जबकि उच्च शिक्षित वर्ग में नौकरी (46%) का प्रतिशत सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन आता है तथा व्यक्ति अधिक औपचारिक एवं वेतनभोगी कार्यों की ओर अग्रसर होता है। जातिगत आधार पर विश्लेषण करने पर अनुसूचित जाति में कृषि (66.67%) का प्रभुत्व अत्यधिक है, जबकि पिछड़ी जाति में व्यापार (46.53%) प्रमुख आय स्रोत के रूप में उभरता है। सामान्य जाति के उत्तरदातियों में आय स्रोत अपेक्षाकृत संतुलित पाए गए, जिससे विविध आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी का संकेत मिलता है।

पारिवारिक संरचना के संदर्भ में संयुक्त परिवारों (58.33%) में कृषि (54.29%) प्रमुख आय स्रोत है, जो पारंपरिक एवं सामूहिक आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है, जबकि एकाकी परिवारों में नौकरी (36.8%) का प्रतिशत अधिक है, जो आधुनिक एवं शहरी जीवनशैली की ओर संकेत करता है। आय वर्ग के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग (2001–6000) में कृषि पर निर्भरता अधिक है, जबकि उच्च आय वर्ग (8001 से ऊपर) में नौकरी (40%) प्रमुख आय स्रोत के रूप में सामने आती है।

इस प्रकार समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरदातियों की सामाजिक– आर्थिक प्रोफ़ाइल में आयु, शिक्षा, जाति, पारिवारिक संरचना एवं आय स्तर के अनुसार आय स्रोतों में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है, जहाँ पारंपरिक कारक (जैसे अधिक आयु,निम्न शिक्षा, संयुक्त परिवार) कृषि पर निर्भरता को बढ़ाते हैं, जबकि आधुनिक कारक (उच्च शिक्षा, एकाकी परिवार, उच्च आय) नौकरी एवं अन्य औपचारिक व्यवसायों की ओर झुकाव को दर्शाते हैं।

3.2 सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल एवं महिलाओं के रहन–सहन (पुरुषों जैसा) के प्रति दृष्टिकोणः

सारणी–2: सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल एवं महिलाओं के रहन–सहन (पुरुषों जैसा) के प्रति दृष्टिकोण

परिवर्त	वर्ग	हाँ (%)	नहीं (%)	अनुत्तरित (%)	कुल (%)	निष्कर्ष
आयु	21–30	52.86	45.72	1.42	23.33	युवा वर्ग में मध्यम स्वीकृति
	31–40	52.38	45.72	1.90	35.00	स्थिर एवं संतुलित दृष्टिकोण
	41–50	55.95	42.86	1.19	28.00	स्वीकृति में वृद्धि
	50+	56.10	39.02	4.88	13.67	अधिकतम स्वीकृति
शिक्षा	साक्षर	54.00	45.00	1.00	33.33	प्रारंभिक स्वीकृति
	सामान्य	58.75	38.75	2.50	26.66	सकारात्मक वृद्धि
	मध्यम	55.72	42.86	1.42	23.33	संतुलित दृष्टिकोण
	उच्च	62.00	34.00	4.00	16.67	सबसे अधिक स्वीकृति
जाति	उच्च	53.12	45.84	1.04	32.00	मध्यम स्वीकृति
	पिछड़ी	54.82	44.44	0.69	48.00	थोड़ा अधिक सकारात्मक
	अनुसूचित	53.33	43.33	3.34	20.00	लगभग समान प्रवृत्ति
परिवार	संयुक्त	52.57	45.72	1.71	58.33	पारंपरिक सोच अधिक
	एकाकी	60.80	37.60	1.60	41.67	आधुनिक सोच अधिक
आय	2001–4000	56.67	40.00	3.33	30.00	मध्यम स्वीकृति
	4001–6000	60.00	38.10	1.90	35.00	सर्वाधिक सकारात्मक
	6001–8000	54.55	43.64	1.81	18.33	थोड़ी कमी
	8001+	56.00	40.00	4.00	16.67	संतुलित दृष्टिकोण

सारणी–2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदातियों के सामाजिक–आर्थिक कारक महिलाओं के रहन–सहन के स्तर को पुरुषों के समान मानने के प्रति उनके दृष्टिकोण को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम आयु के आधार पर देखा जाए तो सभी आयु वर्गों में "हाँ" के उत्तर का प्रतिशत "नहीं" की तुलना में अधिक पाया गया है। 21–30 वर्ष आयु वर्ग में 52.86% उत्तरदातियाँ इस विचार से सहमत हैं, जबकि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में यह प्रतिशत बढ़कर 56.10% हो जाता है। इससे संकेत मिलता है कि आयु में वृद्धि के साथ इस विचार की स्वीकृति में हल्की वृद्धि होती है, यद्यपि सभी आयु समूहों में दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संतुलित ही बना हुआ है।

शैक्षिक स्तर के आधार पर विश्लेषण करने पर यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। साक्षर वर्ग में जहाँ 54% उत्तरदातियाँ सहमत हैं, वहीं उच्च शिक्षित वर्ग में यह प्रतिशत बढ़कर 62% हो जाता है। इसके विपरीत "नहीं" का प्रतिशत शिक्षा के साथ घटता हुआ दिखाई देता है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ व्यक्तियों में लैंगिक समानता के

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

प्रति जागरूकता एवं स्वीकार्यता भी बढ़ती है। अतः शिक्षा इस दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कारक प्रतीत होता है।

जातिगत आधार पर अध्ययन करने पर यह पाया गया कि उच्च जाति (53.12%), पिछड़ी जाति (54.82%) तथा अनुसूचित जाति (53.33%)कृतीनों वर्गों में "हाँ" के उत्तर का प्रतिशत लगभग समान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं के रहन–सहन के स्तर को पुरुषों के समान मानने के संदर्भ में जाति का प्रभाव नगण्य या अत्यंत सीमित है। सभी जातिगत वर्गों में इस विषय पर लगभग समान सोच पाई जाती है।

पारिवारिक संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। संयुक्त परिवारों में जहाँ 52.57% उत्तरदातियाँ इस विचार से सहमत हैं, वहीं एकाकी (न्यूक्लियर) परिवारों में यह प्रतिशत बढ़कर 60.8% हो जाता है। इसके विपरीत "नहीं" का प्रतिशत संयुक्त परिवारों में अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि एकाकी परिवारों में आधुनिक एवं प्रगतिशील सोच का प्रभाव अधिक है, जबकि संयुक्त परिवारों में अपेक्षाकृत पारंपरिक दृष्टिकोण अभी भी विद्यमान है।

मासिक आय के आधार पर विश्लेषण करने पर यह देखा गया कि 4001द्6000 आय वर्ग में "हाँ" का प्रतिशत सर्वाधिक (60%) है, जबकि अन्य आय वर्गों में यह लगभग 54% से 56% के बीच बना हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि मध्यम आय वर्ग में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, जबकि निम्न एवं उच्च आय वर्गों में यह दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संतुलित है।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से ग्रामीण समाज में महिलाओं के रहन–सहन एवं सामाजिक–आर्थिक कारकों के मध्य संबंध के महत्वपूर्ण आयाम उजागर होते हैं। सर्वप्रथम, समग्र प्रवृत्ति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि लगभग 54–57 प्रतिशत उत्तरदातियाँ महिलाओं के रहन–सहन को पुरुषों के समान मानते हैं, जबकि लगभग 40–44 प्रतिशत उत्तरदातियाँ इससे असहमत हैं। यह परिणाम इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, किंतु यह अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त रुझानों के अनुरूप है, जहाँ महिला सशक्तिकरण के संकेतकों में सुधार तो हुआ है, परंतु सामाजिक स्वीकृति की गति अपेक्षाकृत धीमी है (NFHS–5, 2019–21)।

आयु के आधार पर विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सभी आयु वर्गों में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है, किंतु उच्च आयु वर्ग (50 वर्ष से अधिक) में यह स्वीकृति अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। यह परिणाम प्रारंभिक दृष्टि में अपेक्षाओं के विपरीत प्रतीत हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः यह माना जाता है कि युवा वर्ग अधिक प्रगतिशील होता है। किंतु ग्रामीण संदर्भ में वरिष्ठ आयु वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिक अनुभव एवं जीवन की व्यावहारिक समझ उन्हें महिलाओं की बदलती भूमिका को स्वीकार करने के प्रति अधिक अनुकूल बना सकती है। यह निष्कर्ष सामाजिक परिवर्तन के "अनुभव आधारित अनुकूलन" (experience&based adaptation) के सिद्धांत से मेल खाता है (Durkheim, 1893/1984)।

शिक्षा के संदर्भ में प्राप्त निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उच्च शिक्षित उत्तरदातियों में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति सर्वाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण (लगभग 62%) पाया गया, जबकि निम्न शिक्षित वर्ग में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होने की क्षमता भी प्रदान करती है। यह निष्कर्ष अमर्त्य सेन (1999) के "क्षमता दृष्टिकोण" (Capability Approach) का समर्थन करता है, जिसके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक (2001) ने भी यह प्रतिपादित किया है कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है।

जाति के आधार पर विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि विभिन्न जातीय वर्गों में महिलाओं के रहन–सहन के प्रति दृष्टिकोण में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है, क्योंकि "हाँ" के उत्तर का प्रतिशत लगभग समान (53–55%) है। यह निष्कर्ष यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता के प्रति दृष्टिकोण अब केवल जातिगत सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की दिशा को इंगित करती है (Sharma, 2013)।

पारिवारिक संरचना के संदर्भ में अध्ययन के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एकाकी (न्यूक्लियर) परिवारों में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण (60.8%) संयुक्त परिवारों (52.57%) की तुलना में अधिक पाया गया। यह परिणाम पार्सन्स (1955) के पारिवारिक सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार आधुनिक एकाकी परिवारों में भूमिकाओं का विभाजन अधिक लचीला होता है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत, संयुक्त परिवारों में पारंपरिक मान्यताएँ एवं सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।

आय के आधार पर विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि मध्यम आय वर्ग (4001–6000) में महिलाओं के समान रहन–सहन के प्रति सबसे अधिक स्वीकृति (लगभग 60%) पाई गई। यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक होता है, क्योंकि इसमें परंपरा एवं आधुनिकता के बीच संतुलन पाया जाता है। उच्च आय वर्ग में भी सकारात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है, किंतु उसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई, जो यह संकेत करता है कि आर्थिक समृद्धि मात्र से सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन सुनिश्चित नहीं होता। यह निष्कर्ष भी कई पूर्व अध्ययनों से मेल खाता है, जिनमें यह पाया गया है कि आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक होते हैं (Agarwal, 1994)।

इन सभी परिणामों को समेकित रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है (चित्र 1), किंतु यह परिवर्तन असमान एवं बहुआयामी है। शिक्षा एवं पारिवारिक संरचना जैसे कारक इस परिवर्तन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि जाति का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ एवं परंपरागत मान्यताएँ अभी भी महिलाओं की पूर्ण समानता में बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसा कि पूर्व अध्ययनों में भी उल्लेखित किया गया है ।

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

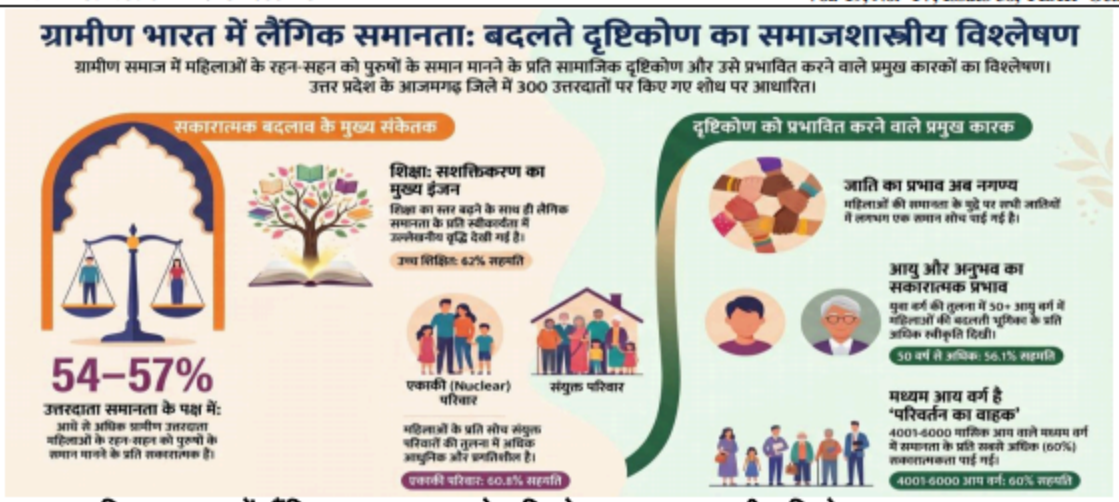

चित्र 1: भारत में लैंगिक समानता: बदलते दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

निष्कर्ष (Conclusion)– प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण समाज में महिलाओं के रहन–सहन एवं सामाजिक–आर्थिक कारकों के मध्य संबंध को समझने का एक प्रयास है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र, जो परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक संरचना से प्रभावित रहा है, वहाँ महिलाओं की स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है। महिलाओं के रहन–सहन को पुरुषों के समान मानने के प्रति उत्तरदातियों की सोच में सकारात्मक प्रवृत्ति उभर रही है, यद्यपि यह परिवर्तन अभी पूर्ण रूप से व्यापक नहीं हुआ है।

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि शिक्षा इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। उच्च शिक्षित उत्तरदातियों में महिलाओं की समानता के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शिक्षा सामाजिक चेतना एवं समानतावादी मूल्यों को विकसित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है (Sen, 1999)। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरकर सामने आई है। एकाकी (न्यूक्लियर) परिवारों में महिलाओं के प्रति अधिक उदार एवं आधुनिक दृष्टिकोण पाया गया, जबकि संयुक्त परिवारों में पारंपरिक सोच अपेक्षाकृत अधिक विद्यमान है (Parsons, 1955)।

इसके विपरीत, जाति का प्रभाव इस अध्ययन में अपेक्षाकृत नगण्य पाया गया, जो यह संकेत देता है कि लैंगिक समानता के प्रति दृष्टिकोण अब जातिगत सीमाओं से परे जाकर व्यापक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन रहा है। आय एवं आयु जैसे कारकों का प्रभाव मध्यम स्तर का पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल आर्थिक समृद्धि या आयु में वृद्धि से ही दृष्टिकोण में परिवर्तन सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि इसके लिए सामाजिक एवं शैक्षिक विकास भी आवश्यक है (Agarwal, 1994)।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, पारंपरिक मान्यताएँ एवं सामाजिक संरचनाएँ अभी भी महिलाओं की पूर्ण समानता में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास केवल आर्थिक या नीतिगत स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य किया जाए।

समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं के रहन–सहन को पुरुषों के समान मानने की प्रवृत्ति ग्रामीण समाज में विकसित हो रही है, जो सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण का संकेत है। हालांकि, इस परिवर्तन को स्थायी एवं व्यापक बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता, तथा पारिवारिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है।

अतः यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि महिलाओं की वास्तविक समानता तभी संभव है जब समाज में न केवल नीतिगत सुधार हों, बल्कि लोगों के दृष्टिकोण एवं मानसिकता में भी परिवर्तन आए। यही परिवर्तन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक स्थायी एवं प्रभावी कदम सिद्ध होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Agarwal, B. (1994). A field of one's own: Gender and land rights in South Asia. Cambridge Uniersity Press.
2. Beauvoir, S. de. (1949). The second sex. Éditions Gallimard.
3. Census of India. (2011). Primary census abstract. Government of India.
4. Durkheim, E. (1984). The division of labour in society (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893)
5. Friedan, B. (1963). The feminine mystique. W. W. Norton & Company.
6. Government of India. (1992). The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992.
7. Ministry of Women and Child Development. (2020). Annual report 2020–21. Government of India.
8. International Institute for Population Sciences. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21. IIPS.
9. Parsons, T. (1955). Family, socialization and interaction process. Free Press.
10. Periodical Labour Force Survey. (2022). Annual report. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
11. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
12. Sharma, K. L. (2013). Indian social structure and change. Rawat Publications.

*****